



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड
खाद्य भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

Email: foodcommfcs@gmail.com

दूरभाष:-0135-2780778

पत्रांक-3601/आ०वि०शा०/फोर्टीफाईडचावल/EOI/2022-23

दिनांक : 23, फरवरी, 2023।

-:कार्यालय ज्ञाप:-

राज्य में भारत सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल फोर्टिफिकेशन किये जाने हेतु FRK निर्माता फर्मों को विभाग में इम्पैनलड किये जाने हेतु खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून द्वारा EOI (Expression of Interest) दिनांक 29.12.2022 को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

उपर्युक्त के क्रम में FRK निर्माता फर्मों को विभाग में इम्पैनलड किये जाने हेतु दिनांक 29.12.2022 को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित EOI (Expression of Interest) को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(पी०एस० पांगती)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी नजारत, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त EOI (Expression of Interest) को निरस्त करने की प्रक्रिया को विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एक प्रति आई०टी० सेल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(पी०एस० पांगती)
अपर आयुक्त।